राजस्थान विवि. में यू.जी.सी. विनियमों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति व पदोन्नति व्यवस्था शीघ्र लागू करने की मांग

कानपुर, गोरखपुर, निम्बाहेडा और जयपुर के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके प्रोफेसर अशोक कुमार ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पत्र लिखकर इस संबंध में जल्द ठोस कार्रवाई का आग्रह किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रोफेसर अशोक कुमार ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को पत्र लिखकर राजस्थान विश्वविद्यालय में यू.जी.सी. (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) विनियमों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति व्यवस्था शीघ्र लागू करने की मांग की है। प्रो. अशोक कुमार कानपुर, गोरखपुर, निम्बाहेडा और जयपुर के कई विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। वे आई.एस.एल.एस. एंड सोशल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष भी है।

- **प्रोफेसर अशोक कुमार का कहना है कि यू.जी.सी. ने वर्ष 2018 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए विस्तृत विनियम जारी किए थे। राजस्थान सरकार ने इन विनियमों में 4 संशोधन करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को इन्हें अपने परिनियमों में सम्मिलित करने के लिए आदेश दिया था, परंतु यह अभी तक नहीं अपनाए गए।**
- **इसका दुष्प्रभाव यह हुआ है कि, राजस्थान यूनिवर्सिटी में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है तथा योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहे हैं। शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण नियमित कक्षाएं और अनुसंधान कार्य प्रभावित हो रहे हैं।**

प्रोफेसर अशोक कुमार ने राज्यपाल बागड़े को पत्र में लिखा है कि, "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने वर्ष 2018 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नित के लिए विस्तृत विनियम जारी किए थे। राजस्थान सरकार ने इन विनियमों में 4 संशोधन करते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय को इन्हें अपने परिनियमों में सम्मिलित करने के लिए आदेश दिया था। इस संबंध में राज्यपाल द्वारा एक समिति का गठन भी किया था, जिसकी रिपोर्ट भी राज्यपाल कार्यालय को भेजी जा चुकी है। परंतु खेद खेद का विषय है कि इस रिपोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों के बावजूद, राजस्थान विश्वविद्यालय ने अभी तक इन विनियमों को स्वीकार नहीं किया है।"

प्रोफेसर अशोक कुमार का कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में यह विनियम लागू नहीं होने के कारण में आज यहां शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी तरह से रुकी हुई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल रहे हैं और कार्यरत शिक्षकों का मनोबल गिर रहा है। राजस्थान विवि. में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं, यह गतिरोध लंबे समय से चल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं और नियमित कक्षाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षक नहीं होने के कारण अनुसंधान कार्य भी बाधित हो रहा है, जिससे विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिणक रैंकिंग तथा प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँच रही है।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि, राजस्थान विश्वविद्यालय का यह नकारात्मक रवैया सीधे तौर पर राज्य के उच्च शिक्षा के भविष्य और हजारों छात्रों के करियर को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से इस गंभीर विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन को शीघ्र उचित कार्रवाई करने के निर्देशित करने का आग्रह किया है।

डंपर से 14 लोगों को कुचलने वाले ड्राईवर के खिलाफ मामला दर्ज

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। विश्वकर्मा स्थित लोहा मंडी में सोमवार की दोपहर नशे में धुत्त डंपर चालक ने एक कार चालक से मामूली कहासुनी के आवेश में आकर 14 लोगों को बेरहमी से कुचलता हुआ निकल गया था। हादसे के बाद मुख्य मार्गों में कोहराम मच गया और घंटों तक यातायात बाधित रहा। वहीं पुलिस ने इस मामले में डंपर चालक के खिलाफ आपराधिक मानव वध का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 105 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले की जांच दुर्घटना अनुसंधान ईकाई की जगह हरमाड़ा थाना अधिकारी उदयसिंह करेंगे। पुलिस इस प्रकरण की जांच भी आपराधिक मामले की तरह गहनता से करेंगी।

- **हरमाड़ा थाना इंचार्ज उदयसिंह करेंगे इस प्रकरण की जांच**
- **बीएनएस की धारा 105 में केस दर्ज, इसमें आजीवन या 10 साल तक की कारावास के साथ जुर्माने का प्रावधान है**

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए घायल दिग्प्रताप सिंह की शिकायत पर डंपर चालक कल्याण मल के खिलाफ धारा 105 बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है। पीड़ित ने पुलिस को बताया की पूरा घटना क्रम उसकी आंखों के सामने हुआ। वो अपनी मां के साथ स्कूटी पर लोहामंडी की ओर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर लापरवाही तरीके से आया और पैदल जा रहे लोगों को कुचलता हुआ निकल गया। डंपर चालक ने कई दूपहिया और चौपहिया वाहनों को भी टक्कर मारी और दर्जनों लोगों को घायल करता हुआ आगे बढ़ गया।

एडवोकेट पंकज पंचलगिया ने बताया कि पुरानी आईपीसी की धारा 304 के तहत आपराधिक मानव वध में लगाई जाती थी। लेकिन अब बीएनएस एक्ट के तहत धारा 105 गैर -इरादतन हत्या की धारा जोड़ी जाती है। जिसमें आजीवन या 10 साल तक का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवम्बर से प्रदेश में होंगे कार्यक्रम

देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत उत्सव के रूप में आयोजन हों : मुख्य सचिव

जयपुर। राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 7 नवम्बर से पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में मंगलवार को शासन सचिवालय में संबंधित विभागों, संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 'वंदे मातरम्150' कार्यक्रम देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत उत्सव के रूप में मनाया जाए। यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने और नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना विकसित करने का अवसर है।

- **राज्य व जिलों में होने वाले आयोजनों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने और कार्यक्रम स्थलों पर सेल्फी बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए**

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर समारोह की तैयारियों पर चर्चा की।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के साथ-साथ जिलों में होने वाले आयोजनों का सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा कार्यक्रम स्थलों पर सेल्फी बूथ भी स्थापित किए जाएं। उन्होंने डीओआईटी विभाग को निर्देश दिए कि कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण एवं अन्य तकनीकी तैयारियाँ समय पर पूर्ण की जाएं।

उल्लेखनीय है कि 'वंदे मातरम्150' राज्य स्तरीय कार्यक्रम 7 नवम्बर को जयपुर के एस.एम.एस. स्टेडियम में आयोजित होगा। इस अवसर पर सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज, एनसीसी, एनएसएस, हिंदुस्तान स्काउट गाइड, पुलिस एवं आरएसी के जवान, सामाजिक संगठन और आमजन की भागीदारी रहेगी।

इसी दिन अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, सीकर, भीलवाड़ा और अलवर में जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे। इसके बाद 8 एवं 9 नवम्बर को शेष 31 जिलों में प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में आयोजित किए जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में 10 नवम्बर को 'वंदे मातरम्150' एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम, नगर निकाय कार्यालयों में 11 नवम्बर, पंचायती राज संस्थानों में 12 नवम्बर, सभी स्कूलों व छात्रावासों में 13 नवम्बर, उच्च शिक्षा संस्थानों में 14 नवम्बर और अस्पतालों व पुलिस थानों में 15 नवम्बर को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 7 नवम्बर से 26 नवम्बर (संविधान दिवस) तक सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 'वंदे मातरम्' का सामूहिक वाचन किया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए सावंत, प्रमुख शासन सचिव राजेश कुमार यादव, गायत्री ए. राठौड़, डॉ. देबाशीष पृष्टी, शासन सचिव रवि जैन, डॉ. रवि कुमार सुरपुर, सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सन्देश नायक सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे तथा संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर वीसी से जुड़े।

जयपुर डिस्कॉम ने थ्री फेज के सभी खराब मीटर बदले

जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने अपने सभी थ्री फेज (गैर कृषि) उपभोक्ताओं के खराब विद्युत मीटर बदलने में कामयाबी हासिल की है। निगम के सभी 18 सर्किलों में सभी थ्री फेज (गैर कृषि) विद्युत उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदलकर उनके स्थान पर नए कार्यशील मीटर लगा दिए गए हैं। डिस्कॉम को खराब मीटर वाले उपभोक्ताओं को नियमानुसार विद्युत शुल्क में छूट नहीं देनी होगी। इन उपभोक्ताओं को अब एवरेज बिल के स्थान पर वास्तविक उपभोग के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे।

- **अब इन 18 सर्किल क्षेत्र में थ्री फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं को वास्तविक उपभोग के आधार पर बिजली बिल**

उल्लेखनीय है कि थ्री फेज (गैर कृषि), थ्री फेज (कृषि), सिंगल फेज (शहरी) तथा सिंगल फेज (ग्रामीण) के 2 लाख 20 हजार से अधिक मीटर डिफेक्टिव होने के कारण निगम को वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 करोड 40 लाख रूपए की राशि विद्युत शुल्क में छूट के रूप में उपभोक्ताओं को देनी पडी थी। जयपुर डिस्कॉम के प्रयासों का परिणाम है कि अब निगम के सभी सर्किलों में सिंगल फेज (शहरी एवं ग्रामीण), थ्री फेज (कृषि एवं गैर कृषि) में खराब मीटरों की संख्या घटकर मात्र 19 हजार 303 रह गई है और यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम 6 माह में घटकर मात्र 12.50 लाख रूपए ही रह गई है।

जयपुर वितरण निगम में 4 लाख से अधिक गैर कृषि थ्री फेज उपभोक्ता हैं। विगत कुछ माह में निगम के सभी सर्किलों में अभियंताओं ने प्रयास कर 3,388 थ्री फेज गैर कृषि उपभोक्ताओं के डिफेक्टिव मीटर बदल दिए। थ्री फेज उपभोक्ता निगम के लिए अधिक विद्युत उपभोग एवं अधिक राजस्व प्रदान करने वाले उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं।

डिफेक्टिव मीटर बदलने के प्रयासों के अन्तर्गत जयपुर डिस्कॉम को मिली यह दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले जून एवं जुलाई माह में 8 सर्किलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर सिटी सर्किल नॉर्थ एवं साउथ, जेपीडीसी नॉर्थ तथा दौसा सर्किल में सभी श्रेणियों में खराब मीटर बदल दिए गए थे। अब करौली सर्किल भी इस कतार में शामिल हो गया है। निगम के 9 सर्किल जीरो डिफेक्टिव मीटर हो गए हैं। इन सर्किलों में लगातार खराब मीटर को शून्य बनाए रखा जा रहा है।

ज्ञात रहे कि मीटर के खराब रहने से डिस्कॉम के राजस्व पर प्रतिकूल असर पडता है। लगातार दो माह से अधिक समय तक मीटर डिफेक्टिव होने की स्थिति में डिस्कॉम को नियमानुसार उपभोक्ता को विद्युत शुल्क में 5 प्रतिशत की छूट देनी होती है। उपभोक्ता को उनके औसत उपभोग के आधार पर विद्युत बिल जारी करने पड़ते हैं।

सार-समाचार

ट्रेड यूनियन नेता प्रेमजी को श्रद्धांजलि

जयपुर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (एटक) एवं भाकपा नेता कॉमरेड प्रेमजी को विभिन्न ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। स्वामी कुमारानन्द हॉल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में एटक के अध्यक्ष एम एल यादव, महासचिव कुणाल रावत कार्यकारी अध्यक्ष डी.के.छंगाणी सीटू के रवीन्द्र शुक्ला, आरसीटू के रामपाल, इंटक के जी.एल.शर्मा, भाकपा जयपुर ज़िले के सचिव रमेश शर्मा सहित कई संगठनों के नेताओं ने प्रेमजी को दलितों, पिछड़ों व वंचितों का नेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी। रवीन्द्र शुक्ला और कुणाल रावत ने कहा कि प्रेमजी एक सच्चे ट्रेड यूनियन नेता थे और मज़दूरों के अलावा हर व्यवसाय के लोगों की पीड़ा दूर करने का प्रयास करते थे। प्रेम जी के पुत्र व पुत्री ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें अभावों में रहकर भी दूसरों की सेवा करने और उच्च शिक्षा व आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। शान्ति एवं एकजुटता संगठन की महासचिव सुनीता चतुर्वेदी, बिजली कर्मचारियों के नेता केशव, समग्र सेवा संघ के बसन्त हरियाणा,एटक के महेश जोशी,एटक के कोषाध्यक्ष विनोद राय, असंगठित क्षेत्र कर्मियों के नेता शरीफ़ आदि ने प्रेमजी को श्रमिकों के प्रति समर्पित नेता बताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा का संचालन कुणाल रावत ने किया।

एग्रीटेक मीट की तैयारियों पर मंथन

जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में मंगलवार को "ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026" (ग्राम) की अंतर विभागीय कोर ग्रुप और फिक्की प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में ग्राम 2026 के लिए संबंधित विभागों द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करने, कार्यात्मक समितियों का गठन, समितियों के अधिकारियों का विभागवार नामांकन, अन्य विभागों की भूमिका और जिम्मेदारियों, विभागीय प्रदर्शनियों, सेमिनारों एवं बैठकों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी ने बताया कि सभी विभाग ग्राम 2026 के आयोजन में अपने अपने जिम्मेदारियों को पूर्ण सतर्कता से समय पर पूरा करें एवं कार्यक्रम में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन भव्य रूप से जयपुर प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र जेईसीसी सीतापुरा, जयपुर में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों, कृषि वैज्ञानिको, नीति निर्माताओं और निवेशकों को एक सांझा मंच पर ला कर कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी की प्रगति और निवेश को प्रोत्साहित करना है। शासन सचिव ने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से 50 हजार किसान भाग लेंगे।

कानून निश्चित नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने को लेकर दर्ज एफआईआर को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि पीड़िता के बालिग होने पर आरोपी ने उससे विवाह कर लिया है। इसके साथ ही अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में कानून निश्चित नहीं होता, बल्कि वह समाज की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अदालत ने कहा कि जब कोई पीड़िता बालिग होने के बाद आरोपी से विवाह कर ले और अदालत में पेश होकर आरोपी के साथ खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने की बात कहे तो अदालत ऐसे मामलों में वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने यह आदेश प्रकरण के आरोपी की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मामले के तथ्यों को देखते हुए एफआईआर रद्द की गई है। ऐसे में यह फैसला अन्य मामलों में नजीर नहीं बनेगा और पीड़िता से राजीनामे के आधार पर एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा। याचिका में अधिवक्ता टीसी व्यास ने अदालत को बताया कि साल 2021 में शहर के आमेर थाना में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। इस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं गत पांच मई को आरोपी ने अंतरिम जमानत लेकर 14 मई को मुस्लिम रीति-रिवाज से पीडिता से विवाह कर लिया और उसके अगले दिन उसका पंजीकरण भी करा लिया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने आकर कोर्ट को कहा कि वह आरोपी के साथ शांतिपूर्वक और खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रही है और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं है। इसलिए प्रकरण में लंबित कार्रवाई को समाप्त किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।

बैकुंठनाथजी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

जयपुर। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार को विशेष योग संयोगों में बैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाई गई। इस मौके पर दान पुण्य के साथ ही शाम को दीपदान किया गया। ठाकुर जी के बैकुंठनाथ स्वरूप का पूजन किया गया। शिवालयों में हरिहर मिलन के भाव से शिवजी और भगवान विष्णु की झांकी सजाई गई। राजधानी जयपुर का एकमात्र 135 साल पुराना भगवान बैकुंठ नाथ जी का सोडाला स्थित मंदिर भी बेहद खास है। जहां विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर रहे सामोद के जागीरदार रावल संग्राम सिंह की माता कंचन कंवर ने पति फतेह सिंह की याद में मंदिर का निर्माण करवाया था।

प्रदेश में चिकित्सा संस्थानों का आज से होगा सघन निरीक्षण

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देशों पर प्रदेशभर में 5 नवम्बर से 7 नवम्बर तक चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। सघन निरीक्षण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर चिकित्सा संस्थान में इण्डियन पब्लिक हैल्थ स्टेण्डर्ड पूरे हों, जिन संस्थानों में यह स्टेण्डर्ड पूरे नहीं होंगे, वहां मिशन मोड में इन स्टेण्डर्ड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि 5 से 7 नवम्बर तक सभी संयुक्त निदेशक जोन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर मानक पूरे नहीं करने वाले चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे।

प्रमुख शासन सचिव ने विभिन्न स्वास्थ्य मानकों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी जिले हर हाल में टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य से पीछे रहने वाले सभी आरसीएचओ को 17 सीसीए के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

श्रीमती राठौड़ ने कहा कि प्रदेशभर में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं का भी सघन निरीक्षण किया जाए, जहां भी एम्बुलेंस संचालन में कमियां पाई जा रही हैं, वहां नियमानुसार पैनल्टी लगाने के साथ ही आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें। यह सुनिश्चित हो कि एम्बुलेंस संचालन योग्य हों, उनमें सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हों और क्रियाशील स्थिति में हों। उन्होंने बताया कि अप्रेल माह से अगस्त माह तक एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में कमियां पाई जाने पर 2 करोड़ रूपए से ज्यादा की पैनल्टी लगाई गई है।

देशभर से बैंक कर्मचारी नेता जयपुर में जुटेंगे

जयपुर। करीब 25 साल बाद ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) केंद्रीय समिति की राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी जयपुर में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाईज यूनियन करेगी। महासचिव महेश मिश्रा ने बताया कि इससे पहले सन् 2000 में यह बैठक जयपुर में हुई थी। यह दो दिवसीय (5-6 नवम्बर) बैठक आज से एमआई रोड स्थित होटल गोल्डन ट्यूलिप में शुरू होगी। इसे एआईबीईए के राष्ट्रीय महासचिव सी एच वेंकटचलम संबोधित करेंगे।

सम्मेलन में एआईबीईए के अध्यक्ष राजन नागर और सचिव बीएस रामबाबू के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशभर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 105 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक से पूर्व मंगलवार को तारक भवन में राजस्थान प्रदेश बैंक एम्पलाइज यूनियन के महासचिव महेश मिश्रा के नेतृत्व में सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें आरपीबीईयू के चेयरमैन आरजी शर्मा और उप महासचिव सूरज भान सिंह आमेरा सचिव महेश शर्मा भी मौजूद रहे।

शिक्षा संकुल में कूडेदान की जगह का कायाकल्प कर बनाया सभागार

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया। इसका नाम "माधव सभागार" रखा गया है। सभागार की कुल क्षमता 40 लोगों के बैठने की है। इसके निर्माण पर 35 लाख रुपये खर्च हुए है। जिस जगह सभागार का निर्माण किया गया है, वहां पूर्व में कूडादान था, जिसे अभी आधुनिक सुविधाओं सें युक्त सभागार के रूप मे परिवर्तित किया गया है। इससे पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने भूतल पर नवनिर्मित एलीवेटर (लिफ्ट) का भी लोकार्पण किया।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के कार्यालय में नवनिर्मित सभागार एवं लिफ्ट का लोकार्पण किया।

दिलावर ने बधाई देते हुए कहा कि, ये सभागार बहुत सुन्दर बना है, जो सभी प्रकार की बैठके आयोजित करने के लिए उपयोगी साबित होगा। भवन में ऐसे लोग भी आते है जो सीढ़ियां चढ़ने मे सक्षम नहीं होते है। ऐसे लोगों के लिए नवीन एलीवेटर (लिफ्ट) प्रारम्भ होने सें बहुत लाभ होगा। लोग आसानी सें भवन के सभी कक्षों मे पहुंच सकेंगे। इस अवसर पर सभागार निर्माण मे उल्लेखनीय कार्य करने वाले सुमित तिवारी, अधिशाषी अभियंता, समग्र शिक्षा, महाराजा सक्सेना, सहायक अभियंता, समग्र शिक्षा तथा ओपन स्कूल के सहायक निदेशक गिरिराज गुप्ता, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर अक्षिता शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शासन सचिव शिक्षा कृष्ण कुणाल, विशिष्ट शासन सचिव विश्व मोहन शर्मा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीता राम जाट, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की निदेशक डॉ अनुपमा जोरवाल, निदेशक साक्षरता एवं सतत शिक्षा मनीष गोयल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा उपस्थित थे।

शराब के नशे में 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

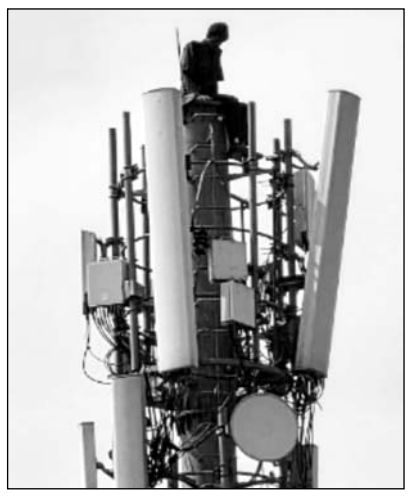

हरमाड़ा इलाके में मोबाइल टावर पर चढ़े युवक को पुलिस ने हाईड्रोलिक क्रेन की मदद से नीचे उतारा।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। हरमाड़ा थाना इलाके में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया,जब एक युवक शराब के नशे में सौ फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ कर चिल्लाने लगा। यह नजारा देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब दो घंटे के बाद हाइड्रोलिक क्रेन बुलवाकर कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा।

थानाधिकारी उदय सिंह यादव ने बताया कि थाना इलाके में लोहा मंडी के पास मंगलवार को निवाई निवासी सुरेश उर्फ लंबू टावर पर लगी सीढ़ियां माध्यम से सौ फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लोगों की भीड़ को देखकर युवक ज्यादा ड्रामा करने लगा। युवक से समझाइश करके नीचे उतारने का प्रयास किया गया। लेकिन युवक नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से टावर के नीचे सुरक्षा इंतजाम किए। इसके साथ ही फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक क्रेन मंगवा कर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ में सामने आया कि वह शराब के नशे में था और शराब पीकर ड्रामा करने के लिए वह मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। इससे पहले भी युवक दो बार मोबाइल टावर पर चढ़ चुका है। नशा उतरने के बाद खुद ही मोबाइल टावर से नीचे भी उतर जाता था।

- **करीब 2 घंटे तक टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा युवक**
- **बाद में पुलिस ने हाईड्रोलिक क्रेन की मदद से युवक को नीचे उतारकर हिरासत में लिया**